रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2019/भाद्र 8, 1941
No. 499] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2019/BHADRA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 614(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 सितंबर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 114 में,-

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(1क) कोई व्यक्ति, जिसे स्थायी खाता संख्यांक आबंटित नहीं की गई है, परंतु वह आधार संख्या धारित करता है और धारा 139क की उपधारा (5ङ.) के अनुसार स्थायी खाता संख्या के बजाए उसकी आधार संख्या प्रस्तुत करता है या सूचित करता है अथवा उद्धत करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन किया है और उससे इस नियम के अधीन आवेदन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(1ख) कोई व्यक्ति, जिसे स्थायी खाता संख्यांक आबंटित नहीं की गई है, परंतु वह आधार संख्या धारित करता है, अपनी आधार संख्या को सूचित करते हुए उपनियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को धारा 139क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) अथवा उपधारा (3) के अधीन स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन कर सकेगा और उससे इस नियम के अधीन आवेदन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(1ग) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) यथास्थिति, उपनियम (1क) या उपनियम (1ख) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए आधार संख्या का अधिप्रमाणन करेंगे ।";

(ii) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(7) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),-

(क) उपनियम (1क) के अधीन आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचना देने या उद्धत करने के लिए ; या

(ख) उपनियम (1ख) के अधीन आधार संख्या की सूचना के लिए ; या

(ग) उपनियम (1ग) के अधीन आधार संख्या के अधिप्रमाणनन के लिए ; या

(घ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना प्राप्त करने के लिए,

आंकड़ों के सुरक्षित अभिग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं के साथ रूपविधान और मानक अधिकथित करेंगे और आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचना देने या उद्धत करने या उसके अधिप्रमाणन अथवा स्थायी खाता संख्या के आबंटन और उसके जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना प्राप्त करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और सुधार नीतियों को विकसित करने और उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे ।"।

[अधिसूचना सं. 59/2019/फा. सं. 370142/13/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : (1) मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 375(अ), तारीख 22 मई, 2019 द्वारा संशोधित आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2019

G.S.R. 614(E).—In exercise of the powers conferred by section 139A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Income–tax (Fifth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the 1st day of September, 2019.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 114, —

(i) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely: —

"(1A) Any person, who has not been allotted a permanent account number but possesses the Aadhaar number and has furnished or intimated or quoted his Aadhaar number in lieu of the permanent account number in accordance with sub-section (5E) of section 139A, shall be deemed to have applied for allotment of permanent account number and he shall not be required to apply or submit any documents under this rule.

(1B) Any person, who has not been allotted a permanent account number but possesses the Aadhaar number may apply for allotment of the permanent account number under sub-section (1) or sub-section (1A) or sub-section (3) of section 139A to the authorities mentioned in sub-rule (2) by intimating his Aadhaar number and he shall not be required to apply or submit any documents under this rule.

(1C) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall on receipt of information under sub-rule (1A) or sub-rule (1B), as the case may be, authenticate the Aadhaar number for that purpose.";

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(7) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall lay down the formats and standards along with procedure for, —

(a) furnishing or intimation or quoting of Aadhaar number under sub-rule (1A); or

(b) intimation of Aadhaar number under sub-rule (1B); or

(c) authentication of Aadhaar number under sub-rule (1C); or

(d) obtaining demographic information of an individual from the Unique Identification Authority of India,

for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing or intimation or quoting or authentication of Aadhaar number or obtaining of demographic information of an individual from the Unique Identification Authority of India, for allotment of permanent account number and issue thereof.".

[Notification No. 59/2019/F. No. 370142/13/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

Note : (1) The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended by the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2019 *vide* notification No. G.S.R. 375(E), dated the 22nd May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.08.30 22:52:32 +05'30'